न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/04

1. रामराज उर्फ रामजस पुत्र भैरू जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. रामबिलास पुत्र भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. नारायण पुत्र भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र मन्ना जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. बद्री पुत्र मन्ना जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. गोपाल पुत्र रामभज्ज जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. गोपी पुत्र औंकार जाति गूर्जर निवासी ग्राम खुरी डोकून तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. संतरा पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
6. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.रविन्द्र खण्डेलवाल– अधिवक्ता अपीलांट
2.हेमेन्द्र सिंह आसावत– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3.अर्जुनलाल नायक– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6

निर्णय **दिनांक 07.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 184/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 18.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खुरी तहसील नैनवां मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की खाता संख्या 164 मे दर्ज खसरा संख्या 149 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150 रकबा 0.2670, खसरा संख्या 372 रकबा 0.0647 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 400 रकबा 1.4238 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.0953 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। ग्राम खुरी तहसील नैनवां मे अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 157 मे दर्ज खसरा संख्या 753/371 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 748/372 रकबा 0.3236 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9708 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। ग्राम खुरी तहसील नैनवा मे अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 44 मे दर्ज खसरा संख्या 755/371 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 756/372 करबा 0.3236 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9708 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। ग्राम खुरी तहसील नैनवां मे अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 40 मे दर्ज खसरा संख्या 399/2.6616 कृषि भूमि स्थित है। ग्राम खुरी तहसील नैनवां की प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज खसरा संख्या 400 रकबा 1.4238 हैक्टेयर कृषि भूमि मे आने जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम खुरी से भूमि खसरा संख्या 371 की दक्षिण मेड के सहारे सहारे भूमि खसरा संख्या 399 की उत्तरी मेड पर प्रार्थी की खातेदारी की खसरा संख्या 400 पर पंहुचता है। अप्रार्थीगण के मन मे बदनियती आ जाने से अप्रार्थीगण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि पर आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिये रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है, जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की खसरा संख्या 400 पर आने जाने हेतु विद्यमान उक्त विद्यमान विवादित रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.12.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग केम्प कोर्ट सहण मे रखी गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 08.12.2021 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण अपीलांटगण की आराजीयात मे से कायम किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 08.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.11.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण अपीलांटगण व अन्य अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पत्रावली मे दिनांक 08.12.2021 की पेशी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय

की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नैनवां से विवादित रास्ते के संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण व अन्य अप्रार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी समुचित तामील करवाये बिना तहसीलदार नैनवां की एकतरफा रिपोर्ट प्राप्त कर प्रथम पेशी पर ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय व प्रकिया के सर्वथा विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नैनवां द्वारा तैयार एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जहां खातेदार कृषक के पास अपनी जोत पर पहुंचने के लिये कोई रास्ता विद्यमान नहीं हो वहा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय को नवीन रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान विहित किये गये है। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पूर्व से विद्यमान रास्ते को प्रदत्त किये जाने के कोई भी प्रावधान विहित नहीं किये गये है। जहां खातेदार कृषक को अपनी जोत पर पहुंचने के लिये पूर्व से ही रास्ता विद्यमान हो वह रास्ता अवरूद्ध कर दिया हो तो ऐसी स्थिति मे धारा 251–क के तहत तहसीलदार के न्यायालय को विद्यमान चालू रास्ते को खुलासा किये जाने की क्षेत्राधिकारिता प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि जोत पर पहुंचने के लिये पूर्व से ही विद्यमान चालू रास्ता बताया था, जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पोषणीय नहीं था और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्राप्त था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने गलत व गैरकानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित करने मे गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीं–भांति स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी कृषि आराजी पर पहुंचने के लिये पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी कृषि आराजी पर पहुंचने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी व गैरकानूनी रूप से निर्णय पारित करने मे गंभीर त्रुटि की है। प्रशासन गावों के सगं केम्प मे उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमे उभय पक्षकारों के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया हो, प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य कोई भी राजीनामा नहीं हुआ था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जानकारी दिये बगैर, एवं अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बगैर कैम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से

निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेंट्री) पेज 576, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 755, आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेंट्री) पेज 394 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने–जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने–जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट पक्षकारान व मौतबिरान की उपस्थिति मे विधिवत तैयार की गई है। विधिवत रूप से तैयार उक्त मौका रिपोर्ट मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता मौके के अनुसार अपीलांटगण अप्रार्थीगण की आराजीयात मे से प्रस्तावित किये जाने का अंकन है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण अप्रार्थीगण की आराजीयात मे कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट के तहत उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.11.2021 द्वारा अप्रार्थीगण को तलब किये जाने के आदेश है, परन्तु दिनांक 08.12.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान मे कोर्ट कैम्प सहण मे रखकर निर्णित कर दी गई। अप्रार्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी होना स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को कोई सम्मन/नोटिस तामील नहीं हुए है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2021 रामराज उर्फ रामजस तथा बद्री का उपस्थित होना अंकित किया है परंतु आगे अंकित किया गया है कि रामराज उर्फ रामजस

ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। मौका रिपोर्ट मे अप्रार्थीगण को सूचना दिये जाने का कोई स्पष्ट अंकन नहीं है। मौका रिपोर्ट मे कोई वैकल्पिक रास्ता होने अथवा नहीं होने के बारे मे कोई अंकन नहीं है। परिशिष्ट 'क' से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि खसरा सख्या 400 तक पहुंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 399 से गुजरेगा या नहीं? इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मौका रिपोर्ट मे स्पष्टता का अभाव है। मौके की रिपोर्ट अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना तैयार की गई है। हमारे विनम्र मत मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रकाश मे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए तथा अपीलांटगण को सूचित करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 184/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिवत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 68 से 70 की पालना करते हुए निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 10.03.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकार
कोटा(राज0)